ए-12013/1/2018- प्रशा.- I(बी)

भारत सरकार

नीति आयोग

नीति आयोग संविदा आधार पर नीति आयोग में यंग प्रोफेशनल्स की सेवाएं लेने का इच्छुक है। पदों, शर्तों, नियोजन की अवधि, पात्रता, अनुभव आदि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

1	पद का नाम	यंग प्रोफेशनल
2	पदों की संख्या	**नीति आयोगः10 (दस) (संभावित)**
3	भर्ती का तरीक़ा	खुले बाज़ार के माध्यम से संविदा आधारित
4	आयु सीमा	अभ्यर्थी की उम्र 01 जुलाई,2018 को 32 वर्ष से कम होनी चाहिए।
5	संविदा की अवधि	दो वर्ष की अवधि के लिए। अगर व्यक्ति एक वर्ष पूरा होने से पहले ही छोड़ देता है तो उसे कोई कार्य-अनुभव प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा।
6	पारिश्रमिक (प्रतिमाह)	प्रारम्भिक समेकित राशि 60,000 रूपए प्रतिमाह जिसमें परिवहन भत्ता और सभी कर शामिल हैं।
7	शैक्षिक अर्हता	अनिवार्य किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या बी.टेक. या प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष) या समतुल्य वांछनीय i. एम.फिल. अथवा अतिरिक्त अर्हता, अनुसंधान अनुभव, प्रकाशित पत्र और नीचे कार्य विवरण में निर्धारित अनुसार संगत क्षेत्र में अर्हता-उपरांत अनुभव ii. अभ्यर्थी को कम्प्यूटर पर प्रौद्योगिकी-आधारित कौशल का अच्छा कामकाजी ज्ञान होना चाहिए तथा आईसीटी अनुप्रयोगों पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। उनके पास सशक्त संवाद तथा अंतर-वैयक्तिक कौशल भी होना चाहिए।
8	अनुभव	कार्य विवरण के अनुकूल न्यूनतम एक वर्ष का कार्य अनुभव। व्यापक कार्य अनुभव नीति आयोग को सौंपे गए कार्यात्मक क्षेत्रों से संबंधित होंगे। जिनके पास संगत क्षेत्र में कार्य के साथ-साथ प्रकाशित कार्य / नीति पत्र / परियोजनाओं और स्कीमों के मूल्यांकन/अनुवीक्षण का अनुभव होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
9	कार्य विवरण	यंग प्रोफेशनल्स से यह अपेक्षित होगा कि वे कृषि / अर्थशास्त्र / वित्त / शिक्षा / स्वास्थ्य / पोषण / महिला और बाल मुद्दे / समाज विज्ञान /अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी / शहरी आयोजना / अवसंरचना/ पर्यावरण / ग्रामीण विकास /डेटा विश्लेषण/ परियोजना

		प्रबंधन/ स्टार्ट-अप / नवप्रवर्तन आदि जैसी विधाओं में उच्चस्तरीय इनपुट उपलब्ध कराएं। इसके लिए आवेदकों को अपने शैक्षिक प्रत्यय-पत्रों, पेशेवर उपलब्धियों और नेतृत्व के गुणों को प्रमाणित करना होगा। उनसे विशेष कार्य करने की अपेक्षा भी की जाएगी,जैसे-पूर्वोत्तर मंच और आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम जिसमें उन्हें क्षेत्र के त्वरित, समावेशी और संधारणीय विकास संबंधी बाधाओं की पहचान करनी होगी और समुचित अंतःक्षेपों की सिफारिश करनी होगी। उन्हें इस क्षेत्र में विकास की स्थिति का अनुवीक्षण और समीक्षा करने के कार्य में भी लगाया जा सकता है।

यंग प्रोफेशनल्स की सेवाएं लेने के नियम और शर्तें नीति आयोग के दिनांक 23.07.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-12013/02/2015-प्रशासन-। (बी) के अनुरूप होंगी। ये दिशानिर्देश नीति आयोग की वेबसाइट www.niti.gov.in पर उपलब्ध हैं। नीति आयोग को अनुबंध किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार होगा। सामान्य वित्त नियम, 2017 के उपबंध लागू होंगे।

नोटः आवश्यक होने पर अभ्यर्थियों के आवेदन अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ उनके उपयोग हेतु साझा किए जा सकते हैं।

आवेदन की प्रस्तुतिः केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पात्र अभ्यर्थी समाचार पत्र में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख़ से 21 दिन के भीतर नीति आयोग की वेबसाइट पर मौजूद लिंक पर जाकर आवेदन करें।